रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2004/फाल्गुन 8, 1925
No. 103] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2004/PHALGUNA 8, 1925

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 149(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय वास्तुक सेवा समूह 'क' नियम 1989 को अधिक्रान्त करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**— (i) इन नियमों का नाम शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय , केन्द्रीय वास्तुक सेवा समूह 'क' नियम 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'नियत दिन' से वह तारीख अभिप्रेत हैं जिसको ये नियम प्रवृत्त होते हैं,

(ख) ''मूल वास्तुकीय अर्हता'' से वास्तु में वह अर्हता अभिप्रेत है जो वास्तुक अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है,

(ग) ''आयोग'' से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(घ) 'नियंत्रक प्राधिकारी' से भारत सरकार का शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय अभिप्रेत है,

(ड.) 'विभागीय प्रोन्नति समिति' से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका गठन किसी भी श्रेणी में प्रोन्नति या उसकी पुष्टि पर विचार करने के लिए, अनुसूची–IV के अनुसार, किया गया है,

(च) 'ड्यूटी पद' से अनुसूची–I के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कोई पद, चाहे स्थायी हो अथवा अस्थायी, अभिप्रेत है,

(छ) 'सरकार' से भारत सरकार अभिप्रेत है,

(ज) 'अ.पि.व.' से अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है और उसका वही अर्थ होगा तथा वह उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93—स्थापना(एस सी टी) तारीख 8 सितम्बर, 1993 में अभिकथित है,

(झ) 'अनुसूची' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,

(ञ) 'नियमित सेवा' से किसी श्रेणी के संबंध में उसके चयन और नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित अवधि या अवधियां भी हैं :—

(1) नियम 6 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों के मामले में उनकी ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए गणना में लिया गया,

(2) जिसके दौरान अधिकारी उस श्रेणी में ड्यूटी पद यदि वह छुट्टी पर होने के या अन्यथा किसी कारण से ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध रहा होता तो धारण करता

(ट) 'अनुसूचित जातियॉं' और 'अनुसूचित जनजातियॉं' के वही अर्थ होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में उनके लिए समनुदिष्ट हैं,

(ठ) 'सेवा' से नियम—3 के अधीन गठित केन्द्रीय वास्तुक सेवा समूह 'क' अभिप्रेत है ।

3. **केन्द्रीय वास्तुक सेवा समूह 'क' का गठन** :— 'नियत दिन' को उसके पश्चात् गठित सेवा होगी जिसे केन्द्रीय वास्तुक सेवा समूह 'क' के रूप में जाना जाएगा जिसमें नियम 6 तथा 7 के अन्तर्गत सेवा में नियुक्त हुए व्यक्ति होंगे और सेवा में सम्मिलित सभी पद, समूह 'क' पदों के रूप में वर्गीकृत होंगे ।

4. **ग्रेड, प्राधिकृत संख्या और इसका पुनर्विलोकन** :

(1) इस सेवा में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जैसे कि अनुसूची—1 कालम(2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) 'नियत दिन'— के पश्चात् विभिन्न ग्रेड़ों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृत संख्या वह होगी जिसे सरकार द्वारा समय—समय पर, निर्धारित किया जाए ।

(3) सरकार, आयोग के परामर्श से सेवा में ऐसे पदों को सम्मिलित कर सकेगी जिन्हें अनुसूची—1 में सम्मिलित पद, उनकी हैसियत, ग्रेड, वेतनमान और व्यावसायिकता के समतुल्य समझे जा सकें या उक्त सूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी ।

(4) सरकार, आयोग के परामर्श से उपनियम (3) के अधीन सेवा में सम्मिलित ड्यूटी पद पर किसी अधिकारी की अस्थायी रूप से या अधिष्ठायी रूप से नियुक्ति कर सकेगी और सदृश श्रेणी में निरंतर नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुए उसकी ज्येष्ठता, सरकार द्वारा समय—समय पर जारी सामान्य आदेशों या अनुदेशों के अनुसार, नियत कर सकेगी ।

5. **सेवा के सदस्य–**

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात :–

(क) नियम–6 के अधीन ड्यूटी पद पर नियुक्त व्यक्ति, और

(ख) नियम–7 के अधीन ड्यूटी पद पर नियुक्त व्यक्ति

(2) उपनियम(1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति पर, समुचित ड्यूटी पद में सेवा का सदस्य माना जाएगा ।

(3) उपनियम(1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से समुचित ड्यूटी पद में सेवा का सदस्य होगा ।

6. **(i) सेवा की आरंभिक गठन** (1) "नियत दिन" को अनुसूची –I में विनिर्दिष्ट समूह 'क' के पद को धारण करने वाले किसी अधिकारी को आरंभिक गठन पर संबंधित ड्यूटी पद में सेवा का सदस्य माना जाएगा बशर्ते कि उसके पास आधारभूत वास्तुकीय अर्हता हों तथा वास्तुक अधिनियम 1972 (1972 का 20) के अधीन वास्तुक के रूप में पंजीकृत हो ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी की नियमित निरंतर सेवा में उनकी प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए परिवीक्षा ज्येष्ठता और अर्हक सेवा, के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

(3) वह सीमा जिस तक नियंत्रण प्राधिकारी इस नियम के उपबंधों के अनुसार सेवा के विभिन्न ग्रेड़ों की प्राधिकृत नियमित संख्या में पदों को भरने के लिए समर्थ नहीं है तो उन्हें नियम–7 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा ।

7. **सेवा का भावी अनुरक्षण** :– (1) नियम 6 के अधीन आरंभिक गठन के पश्चात् निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में रिक्त ड्यूटी पद अनुसूची–II के कॉलम (3) से (6) तक में उल्लिखित रीति से भरे जाएंगे ।

(2) भर्ती पद्धति, प्रोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए चयन क्षेत्र अनुसूची–II के कॉलम (3) से (5) में निर्दिष्ट के अनुसार होगा ।

(3) उप वास्तुक के ग्रेड में सभी रिक्तियॉ अनुसूची –3 में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तथा आयु सीमा के आधार पर, आयोग द्वारा सीधी भर्ती कोटे में भरी जाएंगी । इस ग्रेड में प्रोन्नति आयोग द्वारा की जाएगी ।

(4) (क) वास्तुक के पद चयन पर उप वास्तुक की प्रोन्नति तथा वास्तुक (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) अकृत्यिक ~~द्वितीय~~ ग्रेड) के पद पर वास्तुकों को छोड़कर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन प्रवरता द्वारा किया जाएगा ।

(ख) वास्तुक के पद पर प्रोन्नति के लिए उप वास्तुक का चयन उनकी वरिष्ठता के क्रम में, अयोग्यता के कारण अस्वीकृति के अधीन किया जाएगा । चयन

(ग) वास्तुकों का वास्तुकों (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) (अकृत्यिक ~~द्वितीय~~ ग्रेड) के पद पर चयन उनकी उपयुक्तता के आधार पर ज्येष्ठता के क्रम में, सरकार द्वारा समय–समय

पर जारी किए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उनके संपूर्ण कार्य अनुभव और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

(5) उप नियम (4) के अधीन प्रत्येक मामले से संबंधित चयन, विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर किया जाएगा ।

8. **ड्यूटी पद को प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा भरना :–** नियम 7 में किसी बात को होते हुए भी, जहाँ सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए आयोग के परामर्श से, अनुसूची–II में निर्दिष्टानुसार प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित) किसी ग्रेड मे ड्यूटी पद को 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए भरा जा सकता है जिसका विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष तक विस्तार किया जा सकता है जैसाकि सरकार उचित समझे ।

9. **ज्येष्ठता :–** (1) नियम 6 के अधीन ड्यूटी पर नियुक्त सेवा के सदस्यों की अपेक्षित ज्येष्ठता, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को यथा विद्यमान रूप में होगी :

परन्तु यदि उक्त तारीख को किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता विनिर्दिष्ट तथा अवधारित नहीं की गई थी तो उसका अवधारण सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(2)नियम 6 के अधीन किसी ड्यूटी पद पर सेवा में नियुक्त सभी स्थायी अधिकारी उन सभी अधिकारियों से रैंक में ज्येष्ठ होंगे जिनकी उस पद पर बाद में स्थायी तौर पर नियुक्ति की जाती है तथा नियम 6 के अधीन किसी ड्यूटी पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्त वे सभी अधिकारी उन अधिकारियों से रैंक में ज्येष्ठ होंगे जिनकी उस पद पर बाद में अस्थायी तौर पर नियुक्ति की गई हो ।

(3) प्रारंभिक गठन के पश्चात् सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा इन संबंध में समय–समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार अवधारित होगी ।

(4) उपनियम (1) से (3) तक के अधीन न आने वाले मामलों में ज्येष्ठता सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी ।

10. **परिवीक्षा** (1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा तथा उप वास्तुक या वास्तुक के रूप में प्रोन्नत प्रत्येक सहायक वास्तुक दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा ।

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि बढ़ा या घटा सकता है ।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि के विस्तार के लिए कोई विनिश्चय परिवीक्षा की आरंभिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और उक्त अबधि के भीतर ऐसा करने के कारणों के साथ संबंधित अधिकारी को लिखित में संसूचित किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा की अवधि पर या उसकी किसी विस्तारित अवधि के पूरा होने पर अधिकारी को यदि स्थायी नियुक्ति के योग्य माना गया है तो उसे उस दौरान नियमित आधार पर नियुक्ति पर बने रहने दिया जाएगा ।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसकी किसी विस्तारित अवधि के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है तो सरकार अधिकारी को यथास्थिति सेवा–मुक्त कर सकेगी या उसे उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रत्यावर्तित कर सकेगी या ऐसे आदेश पारित करेगी जिसे वह उपयुक्त समझे ।

(4)सरकार, परिवीक्षा की अवधि या उसकी किसी विस्तारित अवधि के दौरान, किसी अधिकारी से प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम के करने या ऐसी परीक्षा अथवा परीक्षण (हिन्दी परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी सरकार परिवीक्षा को संतोषप्रद पूरा करने के लिए शर्त के रूप में आवश्यक समझें ।

11. **सेवा में नियुक्ति** :– सेवा में सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

12. (1) भारत वर्ष के किसी भी भाग में सेवा दायित्व तथा सेवा की अन्य शर्तें:– सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत वर्ष या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा ।

(2) सेवा में नियुक्त किसी अधिकारी 4 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि भी है, यदि कोई हो, किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित पद पर सेवा करने का दायी होगा । परंतु ऐसे अधिकारी से :–

(क)सेवा में नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या सेवा में उसके सम्मिलित होने की तारीख से यथा पूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(ख) यदि उनकी आयु 40 वर्ष की हो गई है तो उनसे साधारणतया यथापूर्वोक्त सेवा की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(ग) बेतन , छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सेवा शर्तें:– ऐसे विषयों के बावत सेवा के सदस्यों की ऐसी शर्तें जिनके लिए इन नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वही होंगी जैसा समय–समय पर सामान्यतः सरकारी अधिकारियों को लागू होंगी ।

परंतु केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन लाभ केवल सीधी भर्ती से आए उप बास्तुकों को ही स्वीकार्य है तथा यह लाभ उन व्यक्तियों को स्वीकार्य नहीं होगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा स्वायत्त निकायों

में की गई सेवा को गणना में लेने की अनुमति दी गई है और जिन्होंने इन नियमों के अधीन अपनी पूर्व सेवा में सेवा के जोड़े गए वर्षो का लाभ ले लिया है ।

14. **निजी प्रैक्टिस** :— सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को, किसी प्रकार की निजी प्रैक्टिस परामर्श सहित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

15. **व्यावृत्ति**:— इन नियमों में कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

16. **निरर्हता** :— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या पत्नी जीवित हो, से विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:—

परंतु यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति ओर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

17. **शिथिल करने की शक्ति**:— जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

18. **निर्वचन**:— यदि इन नियमों के निर्वचन संबंधी कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

अनुसूची–1

(नियम 2 (छ) तथा 4 (I) देखिए)

क्रम सं.	ड्यूटी पद	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	अपर महानिदेशक (वास्तुकीय)	1	रूपये 22,400–525–24,500/–
2.	मुख्य वास्तुक	4	रूपये 18,400–500–22,400/–
3.	वरिष्ठ वास्तुक	29	रूपये 14,300–400–18,300/–
4.	वास्तुक (कनिष्ठ प्रशा.ग्रेड)	35**	रूपये 12,000–375–16,500/–

	(अकृत्यिक ~~द्वितीय~~ चयन ग्रेड)		
5.	वास्तुक	48	रूपये 10,000—325—15,200/—
6.	उप वास्तुक	38	रूपये 8,000—275—13,500/—
7.	उप वास्तुक (छुट्टी आरक्षित)	16	रूपये 8,000—275—13,500/—

टिप्पणी: 1. उल्लिखित पदों की संख्या कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय है ।

**कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अकृत्यिक ~~द्वितीय~~ चयन ग्रेड है और इस ग्रेड में पदों की अधिकतम संख्या, ज्येष्ठ समय—मान सेवा में ऊपर के स्तर में सभी ज्येष्ठ ड्यूटी पदों के 30 प्रतिशत से अनधिक होगी ।

अनुसूची–II

(नियम–7 (2)देखिए)

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती पद्धति	चयन क्षेत्र तथा प्रोन्नति के न्यूनतम अर्हक सेवा	प्रतिनियुक्ति पर चयन क्षेत्र (अल्पकालिक संविदा सहित)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अपर महानिदेशक (वास्तुकीय)	प्रोन्नति द्वारा किन्तु ऐसा न होने पाने की स्थिति में प्रति–नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)	मुख्य वास्तुक 18400–22400 रू. के वेतनमान में, ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम या स्वायत्त संगठन या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और शोध संगठन के अधिकारी क) (i) मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों या (ii) मूल संवर्ग / विभाग में 18,400–500–22,400 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में की गई तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हों, और ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों, अर्थात् :– (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से वास्तुशास्त्र में डिग्री (ii) वास्तुक अधिनियम 1972 के अधीन वास्तुक के रूप में पंजीकृत (iii) 20 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव (फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के सीधे कम में आते हैं , वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।) (इन नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य किसी संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि में इससे ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है ।

1	2	3	4	5
2.	मुख्य वास्तुक	प्रोन्नति द्वारा, किन्तु ऐसा न हो पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	वरिष्ठ वास्तुक 14,300—400—18,300 रु. के वेतनमान में, ग्रेड में 3 वर्षो की नियमित सेवा सहित ।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम याँ स्वायत्त संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और शोध संगठन के अधिकारी क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद को धारण किए हुए हों, या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में रु. 16,400—450—20,000/— के वेतनमान में, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में की गई दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और (iii) मूल संवर्ग/विभाग में रु. 14,300—400—18,300/— के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में की गई 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो ,और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हो, अर्थात्:— (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से वास्तुशास्त्र में डिग्री (ii) वास्तुक अधिनियम, 1972के अधीन वास्तुक के रूप में पंजीकृत (iii) 12 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव (फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के सीधे कम में आते हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होगे । (इन नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि में इससे ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है)

1	2.	3.		5.
3	वरिष्ठ वास्तुक	प्रोन्नति द्वारा	वास्तुक रु.10,000– 325–15,200/– के वेतनमान में, ग्रेड में 9 वर्ष की नियमित सेवा सहित, जिसमें वास्तुक के अकृत्यिक द्वितीय ग्रेड में रु. 12,000–375–16,500/– के वेतनमान में की गई नियमित सेवा, यदि कोई हो, सहित	
4	वास्तुक (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) (अकृत्यिक द्वितीय ग्रेड)	ज्येष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर गैर–चयनात्मक	वास्तुक, रु. 10,000–15,200/– के वेतनमान में , ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित	
5	वास्तुक	प्रोन्नति द्वारा, किन्तु ऐसा न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	ग्रेड में 4 वर्ष की नियमित सेवा सहित रूपये 8,000–13,500 के वेतनमान में उप वास्तुक की प्रोन्नति द्वारा ।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और शोध संगठन के अधिकारी क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों , या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में रु. 8000– 275–13,500/– के वेतनमान में, नियमित आधार पर किन्तु वे व्यक्ति जिन्होंने सहायक वास्तुक के नाते रू. 7,500–12,000/– के वेतनमान में, ग्रेड में छहः वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो तथा साथ ही इन नियमों के प्रभावी होने की तारीख को वे अनुसूची –III में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यताएं भी रखते हों , वे वास्तुक की कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत पर प्रोन्नत होने के पात्र होंगे । नियुक्ति के पश्चात्, ग्रेड में की गई पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और (iii) मूल संवर्ग विभाग /विभाग में रु. 6,500– 200–10,500/– के वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में की गई . वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, तथा (ख) अनुसूची –III में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव रखते हो,

				(फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के सीधे कम में आते हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे) (इन नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य किसी संगठन/ विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा प्रतिनियुक्ति के अवधि में इससे ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है)
6	उप वास्तुक	आयोग से 66.66 प्रतिशत की सीधी भर्ती द्वारा	अनुसूची –III में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता तथा आयु सीमा वाले यक्तियों में से आयोग के माध्यम से ।	
7		33.33 प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :– सहायक वास्तुक रु. 7,500–12,000/– के वेतनमान में, ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो और अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यताएं रखते हों	

अनुसूची –III

{ नियम –7 (3) देखिए }

(क) उप वास्तुक के पद के लिए अभ्यर्थी के पास :–

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की वास्तुशास्त्र में स्नातक उपाधि या समकक्ष व्यावसायिक अर्हता हो ।

(2) उसे वास्तुक अधिनियम , 1972 के अधीन वास्तुक परिषद् में वास्तुक के नाते पंजीकृत होना चाहिए ।

टिप्पणी :– (i) अर्हताए आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं बशर्ते कि अभ्यर्थी अन्य दृष्टि से भली प्रकार अर्हक हो ।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं तथा अनुभव, आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है यदि आयोग की चयन के दौरान किसी स्तर पर यह राय है कि इन समुदायों की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी (सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट होगी जो कि सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार है)

(आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख हो (न कि वह तारीख जो असम, मेधालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य की लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्थिति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी सब डिबीजन, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रह रहे अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तारीख निर्धारित की गई हो)

अनुसूची –IV

[नियम –2 (ड.),7(5) देखें]

सं0	पद का नाम	समूह 'क' वि.प्रो.स. (प्रोन्नति पर विचारण के लिए)	समूह 'क' वि.प्रो.स. (स्थायीकरण पर विचारण के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अपर महानिदेशक (वास्तुकीय)	(1)अध्यक्ष/सदस्य आयोग–अध्यक्ष (2) सचिव/विशेष सचिव शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय–सदस्य (3) निर्माण महानिदेशक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग–सदस्य	लागू नहीं
2.	मुख्य वास्तुक	(1) अध्यक्ष/सदस्य आयोग–अध्यक्ष (2) सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय–सदस्य (3)निर्माण महानिदेशक/ अपर महानिदेशक (वास्तुकीय)–सदस्य	लागू नहीं
3.	वरिष्ठ वास्तुक	(1) अध्यक्ष/सदस्य आयोग–अध्यक्ष (2) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय–सदस्य (3)निर्माण महानिदेशक/अपरमहानिदेशक(वास्तुकीय)/ मुख्य वास्तुक–सदस्य	लागू नहीं
4.	वास्तुक (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) अकृत्यिक चयन ग्रेड	(1) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय–अध्यक्ष (3)निर्माण महानिदेशक/अपर महानिदेशक (वास्तुकीय) –सदस्य	लागू नहीं
5.	वास्तुक	समूह 'क' अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए:– (1) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय–अध्यक्ष (2) अपर महानिदेशक (वास्तुकीय)/मुख्य वास्तुक –सदस्य समूह 'ख' अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए:– (1)अध्यक्ष/सदस्य आयोग–अध्यक्ष	लागू नहीं लागू नहीं

		(2) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय–सदस्य (3) अपर महानिदेशक (वास्तुकीय)/मुख्य वास्तुक –सदस्य	
6.	उप वास्तुक	सहायक वास्तुक से प्रोन्नति के लिए :– (1)अध्यक्ष/सदस्य आयोग–अध्यक्ष (2) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय–सदस्य (3) अपर महानिदेशक (वास्तुकीय)/मुख्य वास्तुक –सदस्य	(1) संयुक्त सचिव, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय–अध्यक्ष (2) अपर महानिदेशक (वास्तुकीय)/मुख्य वास्तुक –सदस्य

टिप्पणी :–

(1) आयोग केअध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति, समिति की कार्यवाहियों को अविधि मान्य नहीं करेगी या जहां केवल दो सदस्य हों तथा दोनों ने इसकी बैठक में भाग लिया हो ।

(2) जहॉं उन कनिष्ठों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वहीं उनके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से या दो वर्ष की सेवा से, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही इस प्रकार की अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ–साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो ।

[फा. सं. 25/4/2001-एस. एण्ड डी./ई डब्ल्यू-I]
मेहर सिंह, अवर सचिव (ई डब्ल्यू-I)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2004

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Architects Services Group 'A' Rules, 1989 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following Rules, namely :—

1. **Short title and commencement** - (1). These rules may be called in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Central Architects Services Group 'A' Rules, 2004.

(2). These rules shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** .- In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) "appointed day" means the date on which these rules come into force;

(b) "basic architectural qualification" means a qualification in architecture specified in the Schedule to the Architects Act,1972 (20 of 1972);

(c) "Commission" means the Union Public Service Commission ;

(d) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation;.

(e) "Departmental Promotion Committee" means a committee constituted in accordance with Schedule IV to consider promotion and confirmation in any category of posts in the Service ;

(f) "duty post" means any post, whether permanent or temporary, specified in column (2) of Schedule I ;

(g) "Government" means Central Government ;

(h) "OBC" means Other Backward Classes having the same meaning and applicability as laid down in Department of Personnel and Training OM No. 36012/22/93-Estt(SCT) dated the, 8th September 1993 ;

(i) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(j) "regular service", in relation to any duty post means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment to that post and includes any periods–

(1) taken into account for purposes of seniority in case of those appointed at the initial constitution of the service under rule 6 ;

(2) during which an officer would have held a duty post, but for being on leave or otherwise not being availeble for holding such posts;

(k) "Schedule Castes" and "Schedule Tribes" have the same meaning as in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution ;

(l) "Service" means the Central Architects Service Group `A` constituted under rule 3.

3. **Constitution of the Central Architects Service Group `A`** :- On and from the appointed day, there shall be constituted a service to be known as the Central Architects Service Group `A` consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7 and all the posts included in the Service shall be classified as Group `A` posts.

4. **Grades , Authorised Strength and its Review** : -(1) The duty posts included in the Service, their number and scales of pay shall be as specified in Columns (2) to (4) of Schedule I .

(2) After the appointed day the authorised strength of the duty posts in various grades shall be such as may, from time to time , be determined by the Government.

(3) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service such posts as may be deemed to be equivalent to the posts included in the Service in status, grade, pay scale and professional content, other than those included in Schedule 1 or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the Service under sub-rule (3) to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as it may deem fit, and fix his seniority in the grade in accordance with the general orders or instructions of the Government issued from time to time.

5. **Member of the Service** —

(1) The following persons shall be the members of the Service, namely : -

(a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment , be deemed to be a member of the Service in the appropriate duty post.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the service in the appropriate duty post on and from the date of such appointment.

6. Initial Constitution of the Service:- (1) Any officer holding a Group `A` post specified in Schedule I on the appointed day shall be deemed to be a member of the Service in the respective duty post at the initial constitution, provided he possesses the basic architectural qualification and is registered as Architects under the Architects Act, 1972 (20 of 1972).

(2) The regular Service of an officer referred to in sub-rule (1) prior to his appointment to the Service shall count for the purpose of probation, seniority, qualifying service for confirmation, promotion, and pension.

(3) To the extent the Controlling Authority is not able to fill the authorised regular strength of various grades in the Service in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rule 7.

7. Future Maintenance of Service : - (1) Any vacancy in any of the duty posts specified in Schedule 1, after the initial constitution of the Service under rule 6, shall be filled in the manner specified in columns (3) to (4) of Schedule II .

(2) The method of recruitment, field of selection for promotion and on deputation (including short-term contract) shall be as specified in columns (3) to (5) of Schedule II.

(3) The vacancies in the grade of Deputy Architect pertaining to direct recriutment quota shall be filled through the Commission among persons who possess the minimum educational qualification and age limit specified in Schedule III. Promtion to this grade shall be made through Commission.

4 (a) The selection of officers for promotion shall be made by selection except in the case of promotion of Deputy Architects to the post of Architects and of Architects for promotion to the post of Architects (Junior Administrative Grade) (Non-Functional Selection Grade).

(b) Selection of Deputy Architect for promotion to the post of Architect shall be in the order of their seniority subject to the rejection of the unfit.

(c) Selection of Architects for promotion to the post of Architect (Junior Administrative Grade) (Non-Functional Selection Grade) shall be made in the order of their seniority based on suitability taking into account the overall performance, experience and other related matters , as per guidelines issued by the Government from time to time .

(5) The selection of each case under sub-rule (4) shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee .

6. Filling of Duty post by Deputation or Short-term Contract :- Notwithstanding anything contained in rule 7, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill a duty post in any grade on deputation (including short-term contract) as specified in Schedule II for a period not exceeding 3 years which may , in special circumstances, be extended up to 5 years as the Government may think fit.

9. Seniority : - (1)The relative seniority of members of the Service appointed to a duty post at the time of initial constitution under rule 6 shall be as obtaining on the appointed day :

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined by the Government.

(2) All permanent officers appointed to the Service under rule 6 in any duty post shall rank senior to all officers appointed substantively to that post subsequently and all temporary officers appointed to the Service under rule 6 in any duty post shall rank senior to all temporary officers appointed to that post subsequently.

(3) The seniority of persons appointed to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued in this regard by the Government from time to time.

(4) In cases not covered by the provisions of sub-rules (1) to (3), seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. Probation: - (1) Every officer on appointment to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of two years and every Assistant Architect promoted as Deputy Architect or Architect shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend or curtail the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time :

Provided further that any decision for extension of probation period shall be taken within eight weeks of the expiry of initial probation period and communicated in writing to the officer concerned together with the reasons therefor .

(2) On successful completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall be retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive posts.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service or pass such orders as it may deem fit .

(4) During the period of probation, or any extension thereof, an officer may be required to undergo such courses of training and to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as condition for satisfactory completion of the probation.

11. Appointment to the Service : - All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority .

12. Liability for Service in Any Part of India and Other Conditions of Service : - (1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) Any officer appointed to the Service shall be liable to serve in any Defence Service or post connected with the defence of India, for a period of not less than 4 years, including the period spent on training, if any :

Provided that such officer-

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of 10 years from the date of his appointment to the Service or from the date of his joining prior to the initial constitution of the Service ;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of 40 years.

13. Pay, Leave, Pension and Other Conditions of Service : - In respect of matters relating to the conditions of service for which no specific provision has been made in these rules, the members shall be governed by the rules applicable to the officers of the Government generally :

Provided that the benefit under rule 30 of the Central Services(Pension)Rules,1972 shall be admissible to direct recruits only for the post of Deputy Architect and such benefit will not be admissible to those who are allowed to count for pensionary benefits their previous service under Central Government /State Governments/ /UnionTerritory Administrations and autonomous bodies and to those who have received benefit of added years of service in their previous service under these bodies.

14. Private Practice : - Persons appointed to the Service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever, including consultation.

15. Savings : - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes , the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with tha orders issued by the Government from time to time in this regard .

16. Disqualification : - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ,

shall be eligible for appointment to the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

17. Power to relax : - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

18. Interpretation: - If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government.

SCHEDULE - I

[See rule 2(f) and 4(I)]

S No.	Duty Post	No. of Posts	Scale of Pay
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Additional Director General (Architecture)	1	Rs.22400-525-24500/-
2	Chief Architect	4	Rs.18400-500-22400/-
3	Senior Architect	29	Rs.14300-400-18300/-
4	Architect (JAG) (Non-Functional Selection Grade).	35 **	Rs.12000-375-16500/-
5	Architect	48	Rs.10000-325-15200/-
6	Deputy Architect	38	Rs.8000-275-13500/-
7	Deputy Architect (Leave Reserve)	16	Rs.8000-275-13500/-

Note: 1. Number of posts mentioned is subject to variation dependent upon workload.

** The Junior Administrative Grade is non functional Second Grade and the maximum number of posts in this grade shall not exceed 30 percent of the total Senior duty posts in the Senior Time scale and above in the Service .

SCHEDULE - II

[See rule 7(2)]

S No.	Name of post	Method of recruitment	Field of selection and minimun qualifying service for promotion	Field of selection on deputation (including short term contract)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Additional Director General (Architecture)	By promotion failing which by deputation (including short term contract)	Chief Architect in the scale of Rs.18400-22400/- with 3 years regular service in the grade	Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations or recognised Universities and Research Organisations- **(a)** (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) with three years regular service in the grade rendred after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 18400- 500-22400/- or equivalent in the parent cadre/Department;and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Architecture from a recognised University or equivalent; (ii) should be registered as an Architect under Architects Act,1972; (iii) 20 years experience in the profession (The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly ,deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding appointment under these rules in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years)

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2	Chief Architect	By promotion failing which by deputation (including short term contract)	Senior Architect with 3 years regular service in the grade Rs 14300-400-18300/-	Officers of the Central Government or State Government or Public Undertakings or Autonomous Organisations or recognised universities and Research Organisations:- **(a)** (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department ; or (ii) with two yeara regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.16,400-450-20,000/- or equivalent in the parent cadre/Department ; or (iii) with three years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.14300-400-18300/- or equivalent in the parent cadre/Department ; and **(b)** possessing the following qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Architecture from a recognised University or equivalent; (ii) should be registered as an Architect under Architects Act,1972; (iii) 12 years experience in the profession . (The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.) (Period of deputation including period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding appointment under these rules in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.)

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
3	Senior Architect	By promotion	Architects with 9 years of regular service in the pay scale of Rs.10000-325-15200/-including regular service if any rendered in the non functional selection grade for Architect in the pay scale of Rs.12000-375-16500/-.	
4	Architect (Junior Administrative Grade) (Non-Functional Selection Grade).	Non-selection on the basis of seniority and suitability.	Architects with 5 years of regular service in the pay scale of Rs10000-15200/-.	
5	Architect	By promotion failing which by deputation(including short term contract)	(i) Deputy Architect in the pay scale of Rs. 8000-13500/- with 4 years regular service in the grade	Officers under the Central Government or State Governments or Statutory Organisation or Public Sector Undertakings or recognised Universities and Research Organisations) **(a)** (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/Department, or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.8000-275-13500/- or equivalent in the parent cadre/Department; or (iii) with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.6500-200-10500/- or equivalent in the parent cadre/Department ;and **(b)** possessing the educational qualification and experience as specified in Schedule III. (The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.) (Period of deputation including period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding appointment under these rules in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years.)

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6	Deputy Architect	66.66 % by direct recruitment through Commission	Candidates possessing the minimum educational qualification and age limit specified in Schedule -III.	
		33.33 % by promotion	Assistant Architects in the pay scale of Rs.7500-12000/- with two years of regular service in the grade and possessing educational qualification specified in Schedule - III	

SCHEDULE - III

[See rule 7(3)]

(A) A candidate for the post of Deputy Architect shall : -

(1) Posssess Bachelors Degree in Architecture or equivalent professional qualifications of recognised University or Institution ;

(2) Be registered as Architect with the Council of Architecture under the Architects Act 1972.

Note: - (i) Qualifications are relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates othervise well qualified.

(ii) The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Commission in case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes, if at any stage of selection the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(B) Age of such candidates shall not exceed 35 years . (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government.)

(The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul & Spiti District & Pangi Sub Division of Chambe District of Himacahal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshdweep) .

Schedule - IV

[See rule 2(e), 7(5)]

No.	Name of Post	Group 'A' DPC(for considering promotion)	Group 'A' DPC (for considering confirmation)
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Additional Director General (Architecture)	(1) Chairman/Member, Commission - Chairman (2)Secretary/Special Secretary Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation - Member (3) Director General (Works) Central Public Works Department -Member	Not applicable
2	Chief Architect	(1) Chairman/Member, Commission - Chairman. (2) Secretary/Special Secretary/Additional Secretary, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation - Member (3) Director General (Works)/Additional Director General (Architecture) - Member	Not applicable
3	Senior Architect	(1) Chairman/Member, Commission - Chairman. (2) Additional Secretary/ Joint Secretary, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation-Member (3) Director General (Works)/Additional Director General(Architecture) /Chief Architect-Member	Not applicable
4	Architect (Junior Administrative Grade) Non Functional Selection Grade	(1) Additional Secretary/Joint Secretary(Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation - Chairman. (2) Director General (Works)/Additional. Director General(Architecture)- Member	Not applicable

[1]	[2]	[3]	[4]
5	Architect	For Promotion of Group'A' Officers:- (1) Additional Secretary/Joint Secretary Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation -Chairman (2) Additional Director General(Architecture)/ Chief Architect-Member	Not applicable
		For Promotion of Group 'B' officers:- (1) Chairman/Member, Commission - Chairman (2) Additional Secretary/ Joint Secretary,Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation -Member (3) Additional.Director General(Architecture) / Chief Architect-Member	Not applicable
6	Deputy Architect	For promotion from Asstt. Architect :- (1) Chairman/Member, Commission - Chairman (2) Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation - Member (3)Additional Director General (Architecture)/Chief Architect - Member	(1) Joint Secretary,Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation-Chairman (2) Additional Director General (Architecture)/Chief Architect-Member

Notes : -

(1) The absence of a member, other than the Chairman or a Member of the Commission , shall not invalidate the proceedings of the Committee or where there are only two members, both had attended its meetings.

(2) Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whchever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

[F. No. 25/4/2001-S & D/EW-I]

MEHAR SINGH, Under Secy. (EW-I)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.